[भारत के राजपत्र असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना सं०. 14/2018-केन्द्रीय कर (दर)

नई दिल्ली, 26 जुलाई, 2017

सा.का.नि......(अ).- केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 11 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार परिषद की सिफारिश पर और इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतद्द्वारा सा.का.नि. संख्या 691(अ) दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशित, वित्त मंत्रालय(राजस्व विभाग) में, भारत सरकार की अधिसूचना सं0. 12/2017- केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 में और आगे निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, -

(i) तालिका में, -

(क) क्रम संख्या 4 के समक्ष, कॉलम (3) में, "केंद्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र, स्थानीय प्राधिकरण या" का लोप किया जाएगा;

(ख) क्रम संख्या 5 के समक्ष, कॉलम (3) में, "केंद्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र, स्थानीय प्राधिकरण या" शब्दों का लोप किया जाएगा;

(ग) क्रम संख्या 9ग और इससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों का समावेश किया जाएगा, अर्थात्: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"9घ	अध्याय 99	प्रति सदस्य प्रति माह पच्चीस हजार रूपए तक विचारण जिसमें बोर्डिंग, लॉजिंग और रखरखाव के लिए विचारण प्रभार सम्मिलित है, के प्रति अपने निवासियों (60 वर्ष या उससे अधिक आयु) को केंद्र सरकार, राज्य सरकार या आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 12कक के अंतर्गत पंजीकृत किसी हस्ती द्वारा चलाए जा रहे वृद्धाश्रम द्वारा सेवाएं ।	कुछ नहीं	कुछ नहीं ";

(घ) क्रम संख्या 10 और इससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों का समावेश किया जाएगा, अर्थात्: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"10क	शीर्षक 9954	कृषि उपयोग हेतु किसान या कृषिविद के ट्यूब वेल तक बिजली वितरण नेटवर्क को विस्तारित किए जाने हेतु निर्माण, परिनिर्माण, कमीशनिंग, या बुनियादी ढांचे की स्थापना के द्वारा बिजली वितरण उपयोगिता द्वारा आपूर्ति की जाने वाली सेवाएं ।	कुछ नहीं	कुछ नहीं";

(ङ) क्रम संख्या 14 के समक्ष, कॉलम (3) में प्रविष्टि में, "घोषित टैरिफ" शब्दों के स्थान पर "आपूर्ति मूल्य" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(च) क्रम संख्या 19क के समक्ष, कॉलम (5) में प्रविष्टि में, संख्या "2018" के लिए, संख्या "2019" को प्रतिस्थापित किया जाएगा ;

(छ) क्रम संख्या 19ख के समक्ष, कॉलम (5) में प्रविष्टि में, संख्या "2018" के लिए, संख्या "2019" को प्रतिस्थापित किया जाएगा ;

(ज) क्रम संख्या 24 और इससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों का समावेश किया जाएगा, अर्थात्: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"24क	शीर्षक **9967** या शीर्षक **9985**	लघु वन उत्पादन के भण्डारण के माध्यम से सेवाएं।	कुछ नहीं	कुछ नहीं";

(झ) क्रम संख्या 31 और इससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों का समावेश किया जाएगा, अर्थात्: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"31क	शीर्षम **9971** या शीर्षक **9991**	कोयला खान भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1948 (1948 का 46) द्वारा शासित व्यक्तियोंको कोयला खान भविष्य निधि संगठन द्वारा सेवाएं ।	कुछ नहीं	कुछ नहीं
31ख	शीर्षक **9971**	प्रशासनिक शुल्क के रूप में विचारण के प्रति अपने सदस्यों को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली	कुछ नहीं	कुछ नहीं";

	or शीर्षक **9991**	(एनपीएस) द्वारा सेवाएं ।		

(ञ) क्रम संख्या 34 और इससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों का समावेश किया जाएगा, अर्थात्: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"34A	शीर्षक 9971	केंद्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र द्वारा उनके उपक्रमों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) को, ऐसे उपक्रमों या पीएसयू द्वारा वित्तीय संस्थानों से उठाए गए ऋणों की गारंटी के माध्यम से आपूर्ति की जाने वाली सेवाएं ।	कुछ नहीं	कुछ नहीं";

(ट) क्रम संख्या 36क के समक्ष, कॉलम (3) में प्रविष्टि में संख्या "36" के पश्चात् "या 40" शब्द और संख्या का समावेश किया जाएगा: -

(ठ) क्रम संख्या 47 और इससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों का समावेश किया जाएगा, अर्थात्: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"**47**क	शीर्षक **9983** या शीर्षक **9991**	खाद्य सुरक्षा और भारतीय मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) द्वारा खाद्य व्यापार संचालकों को लाइसेंसिंग, पंजीकरण और खाद्य नमूनों की विश्लेषण या परीक्षण के माध्यम से सेवाएं ।	कुछ नहीं	कुछ नहीं";

(ड) क्रम संख्या 55 और इससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों का समावेश किया जाएगा, अर्थात्: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"**55**क	शीर्षक **9986**	पशुओं के कृत्रिम गर्भाधान (घोड़ों के अलावा) के माध्यम से सेवाएं ।	कुछ नहीं	कुछ नहीं";

(ढ) क्रम संख्या 65क और इससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों का समावेश किया जाएगा, अर्थात्: -

(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**
"**65**ख	शीर्षक **9991** या कोई अन्य	ऐक्सेस रॉयल्टी संग्रह ठेकेदार (ईआरसीसी) को किसी राज्य सरकार द्वारा खनन पट्टा धारको से रॉयल्टी एकत्र किए जाने का	शून्य	बशर्ते कि ठेका अवधि की समाप्ति पर, ईआरसीसी राज्य सरकार को एक खाता प्रस्तुत

	शीर्षक	अधिकार सौंपने के माध्यम से आपूर्ति की जाने वाली सेवाएं । *स्पष्टीकरण.* - "खनन पट्टा धारको" से अभिप्राय ऐसे व्यक्तियों से है जिन्हे खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, **1957 (1957** का **67)** की धारा **3 (**ग) या उसके अंतर्गत बने नियमो या राज्य सरकार द्वारा खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, **1957 (1957** का **67)** की धारा 15(1) के अन्तःगत बनाये गए नियमो के अंतर्गत खनन पट्टा, खदान पट्टा या लाइसेंस या अन्य खनिज कन्सेशन दिया गया हो ।		करेगा और प्रमाणित करेगा कि रॉयल्टी पर खनिकों द्वारा जमा जीएसटी की राशि रॉयल्टी एकत्र किए जाने के अधिकार के समनुदेशन की सेवा पर छूट दी गई जीएसटी से अधिक है और जहां खनिकों द्वारा भुगतान की गई जीएसटी की ऐसी राशि छूट दी गई राशि से कम है, तो छूट ऐसी धनराशि तक सीमित होगी जो खनन पट्टाधारकों द्वारा भुगतान की गई जीएसटी की राशि के बराबर हो और जीएसटी रॉयल्टी पर खनन पट्टाधारकों द्वारा भुगतान की गई जीएसटी और रॉयल्टी एकत्रीकरण-अधिकार के समनुदेशन की सेवा पर दी गई जीएसटी छूट के बीच अंतर का ईआरसीसी द्वारा भुगतान किया जाएगा ।"

(ण) क्रम संख्या 77 और इससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों का समावेश किया जाएगा, अर्थात्: -

(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**
"77A	शीर्षक **9995**	निम्नलिखित में लगे हुए, इस समय प्रभावी किसी कानून के अंतर्गत किसी अनिर्धारित निकाय या किसी गैर-लाभकारी संस्था द्वारा प्रदत्त सेवाएं,- **(i)** औद्योगिक या कृषि श्रमिक या किसान के कल्याण से संबंधित गतिविधियां; या **(ii)** व्यापार, वाणिज्य, उद्योग, कृषि, कला, विज्ञान, साहित्य, संस्कृति, खेल,	कुछ नहीं	कुछ नहीं";

		शिक्षा, सामाजिक कल्याण, धर्मार्थ गतिविधियों और पर्यावरण की सुरक्षा का प्रोन्नयन, प्रति वर्ष प्रति सदस्य एक हजार रुपये (**1000/-रू**0) की राशि तक सदस्यता शुल्क के रूप में विचारण के खिलाफ अपने सदस्यों हेतु ।		

(ii) पैराग्राफ 3 में, स्पष्टीकरण में, खण्ड (iii) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड का समावेश किया जाएगा, अर्थात्:-

"(iv) शंकाओं के निवारण हेतु, यह स्पष्ट किया जाता है कि शैक्षणिक बोर्डों द्वारा छात्रों को परीक्षा आयोजित किए जाने के माध्यम से प्रदान किए जाने वाली सेवाओं के सीमित उद्देश्य हेतु केंद्रीय और राज्य शैक्षणिक बोर्डों को शैक्षिक संस्थान के रूप में माना जाएगा ।"।

2. यह अधिसूचना 27 जुलाई, 2018 से प्रवृत्त होगी।

[फा. सं०.354/13/2018 -टीआरयू]

(गुंजन कुमार वर्मा)
अवर सचिव, भारत सरकार

नोट: - प्रधान अधिसूचना सा.का.नि. संख्या 691 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत अधिसूचना सं0. 12/2017 - केन्द्रीय कर(दर), दिनांक 28 जून, 2017 के द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित की गई और सा.का.नि. संख्या 65(अ), दिनांक 25 जनवरी, 2018 के तहत अधिसूचना संख्या 2/2018-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 25 जनवरी, 2018 द्वारा इसमें अंतिम संशोधन किया गया था ।